



राज्यपाल सचिवालय, बिहार
राजभवन, पटना-800022

पत्रांक-स्था.-18/2023-1559/रा.स. (111)
प्रेषक,

दिनांक-10-10-2023

सेवा में,

रॉबर्ट एल. चोंगथू
राज्यपाल के प्रधान सचिव

मुख्य सचिव

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी।
कुलपति, राज्य के सभी विश्वविद्यालय
बिहार।

विषय- बिहार के राज्यपाल को "महामहिम" के स्थान पर "माननीय राज्यपाल" के नाम से संबोधन करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना है कि माननीय राज्यपाल द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित 'संबोधन' की व्यवस्था को बदलने की सहमति देने की कृपा की गयी है, यथा:-

1. राज्यान्तर्गत सभी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए "His Excellency" के स्थान पर 'Hon'ble' अथवा 'माननीय' शब्द का प्रयोग किया जाएगा
2. माननीय राज्यपाल महोदय के नाम के आगे 'श्री' अथवा 'श्रीमती' का प्रयोग किया जाएगा।
3. विशेष परिस्थिति में केवल विदेश के राजनायिकों के साथ Interaction (शिष्टाचार भेंट) आदि के समय His Excellency का प्रयोग किया जाएगा।
4. सभी प्रकार के सरकारी टिप्पणी में 'महामहिम' के स्थान पर 'माननीय राज्यपाल' का प्रयोग किया जाए।

विश्वासभाजन

ह./-

(रॉबर्ट एल. चोंगथू)

राज्यपाल के प्रधान सचिव

दिनांक-10-10-2023

ज्ञापांक- स्था.-18/2023-1559/रा.स. (111)

प्रतिलिपि:-विशेष पदाधिकारी (वि.वि.)/राज्यपाल सचिवालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ अनुपालनार्थ प्रेषित।

राज्यपाल के प्रधान सचिव